राजस्थान सरकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर, राजस्थान

क्रमांकः जिशिअ / प्राशि / जोधपुर / आरटीई / 2014 / ٢٨ / 107 / 136

दिनांक : 29.8./।

स्व घोषणा पत्र के आधार पर मान्यता अनुज्ञा पत्र

सचिव/अध्यक्ष, सुगचन्द कोठारी द्रस्ट जोधपुर।

विषय :--नियम ८ ए के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के मान्यता अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार के आदेश कमांक 9(1)शिक्षा—5/2010 पार्ट दिनांक 24.06.14 व शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर निर्माण/18894/13—14/वो—ii/4 दिनांक 25.06.14 की अनुपालना में आपके द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र के आधार पर मान्यता अनुज्ञा पत्रविद्यालय के पत्र—व्यवहार/ निरीक्षण के संबंध में दिल्ली पब्लिक स्कूल बाई पास रोड पाल जोधपुर (विद्यालय का नाम व पता) अस्थाई मान्यता कक्षा प्रथम से कक्षा आठवी तक तीन वर्ष की अवधि 01.07.2014 से 30.06.2017 तक माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी में संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निम्नलिखित दशाओं की पूर्ति उपर्युक्त स्वीकृति के अधीन की जानी है:-

- 1. मान्यता की स्वीकृति कक्षा आठ से अधिक नहीं बढाई जाती है।
- 2. विद्यालय द्वारा "बच्चों को शिक्षा के अधिकार" एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (केन्द्र की धारा ि 35 / 2009) एवं राजस्थान में बच्चों की मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के अधीन पालना की जायेगी।
- 3. धारा 2009 के विस्तार में विद्यालय द्वारा स्वीकार किया जायेगा कि कक्षा एक या कक्षा एक से पूर्व जैसा भी प्रकरण हो, कक्षा की समुचित संख्या में से कमजोर वर्ग के बच्चों और वंचित रहें समूह के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उनकी शिक्षा प्राप्ति तक दी जानी है।
- 4. अवतरण तीन में सन्दर्भित बच्चों को विद्यालय द्वारा राजस्थान में बच्चों की मुफ्त शिक्षा के अधिकार और अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के जायेगी। लए विद्यालय द्वारा अलग से बैंक में खाता संधारित किया जायेगा।
- 5. संस्था / विद्यालय द्वारा कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क और बच्चें और माता—पिता का कोई साक्षात्कार (बच्चें के प्रवेष के लिए) नहीं लिया जायेगा।
- 6. विद्यालय किसी भी बच्चें की आयु संबंधी प्रमाण की कमी के आधार पर बच्चे के प्रवेश के लिए मना नहीं करेगा और अधिनियम 2009 की धारा 15 के प्रावधानों पर अडिग रहेगा। विद्यालय यकीन करेगा 2. कियालय होते
 - (i) किसी भी बच्चें को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक न तो किसी कक्षा में रोंका जायेगी, न ही विद्यालय से बाहर किया जायेगा।
- 3. भारा 2000 न किसी भी बच्चें को न तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जायेगा और न ही शारीरिक रूप से सजा दी जायेगी।
 - (iii) किसी भी बच्चें के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक उत्तीर्ण होने के लिए बोर्ड की सरीक्षा अनिवानिर्धारित नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्रत्येक बच्चें की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर, उसे पारितोषिक प्रमाण पत्र के रूप में राजस्थान में बच्चों के मुफ्त शिक्षा के अधिकार एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगा।
 - (v) अषसक्ता / विशेष आवश्यकता वालों विद्यार्थियों को अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार
 - (vi) अध्यापकों को न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपनियम (1) पर ि निर्धारित दायरे में नियुक्त दी जानी है।
 - (i) बुषर्त कि वर्तमान अध्यापक जो अधिनियम 2009 की घोषणा तक न्यूनतम योग्यता धारित न हो तो वह कम से कम पाँच वर्ष की अवधि में योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करेगा।
 - (vii) अधिनियम 2009 की धारा 24 के उपनियम (1) के अनुसार अध्यापक अपने कर्त्तव्य की पालना करेगा और
- (viii)अध्यापक / अध्यापिका अपने आप को किसी भी निजी शिक्षण गतिविधियों में व्यस्त नहीं रखेगा पक्षा 7. विद्यालय उपयुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर अधारित पाठ्यवस्तु का अनुसरण करेगा।

DIRECTOR & PRINCIPAL Delhi Public School Jodhpur (Raj.)

(FA):

पृष्ठ संख्या - 2 -

8. अधिनियम 2009 की धारा 19 के अनुरूप विद्यालय अपना स्तर और मापदण्ड कायम रखेगा। सुविधाएँ अन्तिम निरीक्षण के समय तक दी जाती है, जो इस प्रकार है:—

क्र0सं0	विवरण	पत्रावली संख्या
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्र	संलग्न
2	कुल निर्मित क्षेत्र	संलग्न
3	खेलकूद के मैदान का क्षेत्र	संलग्न
4	कक्षा-कक्षों की संख्या	संलग्न
5	प्रधानाध्यापक मय भण्डार कक्ष	संलग्न
6	छात्र-छात्रों के लिए अलग शौचालय	संलग्न
7	पीने के पानी की सुविधा	संलग्न
8 .	मिड-डे-मिल भोजन पकाने की रसोई	संलग्न
9	व्यवधान रहित आवागमन	संलग्न
	शिक्षण सिखलाई संबंधी	संलग्न
10	उपकरणों/खेलकूद के	
978 and 27	उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता	

9. एक ही विद्यालय के नाम से विद्यालय के बाहर या अन्दर किसी भी प्रकार की अधिकृत प्रावधानों के खिलाफ (अनाधिकृत) कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य निर्मित ढांचा या मैदान का शिक्षा के उद्देष्य के लिए प्रयोग और कौषल विकास के लिए प्रयोग किया जाना है।

11. विद्यालय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 (केन्द्र के अधिनियम 1860 की धारा 21), राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 (1958 की धारा 28) या एक सार्वजनिक न्यास जो कुछ समय के लिए कानूनन बनाई गई हो, के अधीन कार्य करेगा।

12. विद्यालय किसी भी व्यक्तिगत / समूह या व्यक्तिगत संस्था या अन्य कोई व्यक्ति विषेष के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

13. विद्यालय के लेखा—जोखा का अंकेक्षण किया जाना चाहिए और चार्टड एकाउण्टेण्ट द्वारा उचित लेखा सूची को नियमानुसार प्रमाणित करवाया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रमाणित लेखा सूची की प्रति जिला पिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक पिक्षा को प्रति वर्ष भिजवायी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को निम्नलिखित मान्यता क्रमांक प्रदत्त किया जाता है। यह कृपया ध्यान में लाया जाए कि कार्यालय से किये गये प्रत्येक पत्र व्यवहार में भी इसका उल्लेख किया जाए।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएँ संधारित रखेगा जो निदेशालय, प्रारम्भिक विक्षा द्वारा समय समय पर मांगी जाती है। साथ ही, भारत सरकार/स्थानीय अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करने की अवस्था में ही मान्यता दी जानी या रदद की जानी निर्भर करती है।

16. संस्था के पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्यतः समय—समय पर किया जाना है।

17. अन्य शर्ते संलग्नित प्रदर्श के अनुसार है।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

- 1) (in a little great

न वा भाग विकास स्थान

मिली प्रमान क देश हो जोएं

क्रमांक : जिशिअ / प्राशि / जोधपुर / आरटीई / 2014 / LN | 107 | 136 प्रतिलिपि : निम्त को सूचनार्थ —

1. श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

2. श्रीमान उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।

3. श्रीमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जोधपूर।

4. सचिव / स्गचन्द कोठारी द्रस्ट जोधपुर।

कार्यालय पंजिका।

16. RESERVE 1 9 1 1 1

Mississis.

Partiere (Carlo

17401 9111 DESC

दिनांक : 29.8. 2014

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

DIRECTOR & PRINCIPAL Delhi Public School Jodhpur (Raj.)